

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर  
क्रमांक एफ.4 (ई) (1)(नि.प.48 / 11) / अलेरो-गा / १८५१२० दिनांक :- १८.१२.१३

आदेश संख्या ३२३ / २०१३-१४

राजस्थान लोक रोग आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार (संयुक्त प्रतियोगी) रीधी भर्ती परीक्षा, 2011 में सफल धोखित किये जाने एवं आयोग की अनुशासनानुसार चयनित सूची में से निम्नांकित अभ्यर्थी को एतद् द्वारा राज. अधीनरथ लेखा सेवा नियम 6 के अनुसार परिवीक्षाधीन कनिष्ठ लेखाकार के रूप में उपरिथित देने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिए रूपये 11100/- (ग्राहक हजार एक सौ रुपये ) प्रति माह के स्थाई परिश्रमिक पर, दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् पे-बैण्ड(2) 9300-34800 में ग्रेड पे 3600 एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उनके संदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक प.1 (2) वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उपरिथित देने की संगत तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि वे उनके नाम के सामने अंकित विभाग / कार्यालय में दिनांक 27.12.2013 तक अपनी उपरिथित आवश्यक रूप से देकर इस विभाग को रूचित करेंगे अन्यथा उक्त तिथि के बाद उनके नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझे जावेंगे ।

क्र. सं	मेरिट क्रमांक	रोल नम्बर	नाम/पिता का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	जन्म तिथि	गृह जिला	श्रेणी	विभाग/ कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	48	302611	राधेश्याम, पुत्र श्री छोटूराम वार्ड न. 10 (नपा) आदर्श कॉलोनी, व्हाईट हाउस के नजदीक, सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, पिन कोड 335804	24-05-1975	श्रीगंगानगर	GE	कोषालय, जैरालगेर	

उपरोक्त अभ्यर्थियों की कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों पर की जा रही है:-

- उपरोक्त अभ्यर्थी की जन्म तिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित एवं राजस्थान लोक रोग आयोग, अजमेर द्वारा स्वीकृत जन्म तिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
- यह नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों में अधिकथित निवन्धनों एवं शर्तों के अध्यधीन होगी।
- यह नियुक्ति उप महानिरीक्षक, री.आई.डी (सीबी) जयपुर से अभ्यर्थी के चरित्र के रांबंध में संतोषजनक प्रमाण-पत्र की शर्त पर है।
- अभ्यर्थी को राजस्थान अधीनरथ लेखा सेवा नियमों के अनुसार गविष्य में अनिवार्य प्रशिक्षण पर उपरिथित देते समय दस रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र / बाण्ड जो नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित हो देना होगा।
- अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वारथ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने वाहिये किन्तु महिलाओं के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी, किसी महिला चिकित्सक का स्वारथ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपरिथित के समय प्रत्यक्ष करना होगा अन्यथा उपरिथित स्वीकार्य नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वयंवेकानुसार बढाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें राज्य सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की परिवीक्षा की कालावधि के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed remuneration) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते (विशेष भत्ता, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, बोनस आदि) देय नहीं होंगे।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को कार्यग्रहण काल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में सन्तोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर है, परन्तु राज्य सरकार इन्हें विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण / अर्हता प्राप्त कर लेने पर इनको राजस्थान अधीनरथ लेखा सेवा में स्थायी आधार पर नियुक्त कर सकेगी।

11. उक्ता नियुक्ति माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन होगी ।
12. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण कराने से पूर्व गुटखा एवं धूमपान न करने के संबंध में वचनवद्धता पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावें।
13. अभ्यर्थी रो विवाह के समय दहेज प्राप्त न करने का धोषणा पत्र जिस पर पति, पिता एवं श्वसुर के हस्ताक्षर हो प्राप्त किया जाकर प्रति इस विभाग में भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावें।

यदि अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पदग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में उनके द्वारा प्राप्त वेतन एवं भत्ते एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दोगुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा।

इस विभाग से पत्र व्यवहार करते समय अभ्यर्थी अपने मेरिट क्रमांक एवं बैच वर्ष का उल्लेख अवश्य करें अन्यथा उनके पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

  
 (वीरबाहाला जोशी)  
 निदेशक

क्रमांक एफ.4 (ई)(१)(नि.प.४८ / ११) / अलेरो-गा / १०५१२ - १०५२०  
 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक - १६/१२/१३

1. शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष

द्वारा उनके कार्यालय में उपस्थिति देते समय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित रवारथ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही उपरिथित रवीकार की जावे तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करायें।

4. श्री राधेश्याम पुत्र श्री छोटूरामवार्ड न. 10 (नपा)आदर्श कॉलोनी, व्हाईट हाउस के नजदीक, सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, पिन कोड 335804 को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे निर्धारित तिथि को उनके नाम के सामने अंकित कालम सख्त्या ८ में दिनांक 27.12.2013 तक आवश्यक रूप से उपरिथित होकर उपरिथित रिपोर्ट सम्बन्धित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. विशेषाधिकारी (कम्प्यूटर अनुगाम) वेबराईट पर अपलोड हेतु।
6. निजी सहायक, निदेशक
7. गोपनीय शाखा
8. रक्षित/निजी पत्रावली

  
 (महेन्द्र सिंह भूकर )  
 अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-गा)